न्यायालय सहायक कलक्टर (बालोतरा)
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथराम , आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व वाद 133/2008

वादीगण :–

1. भगाराम पुत्र दमाराम जाट
2. मोटाराम पुत्र दमाराम जाट निवासी दूदवा तहसील पचपदरा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भगवाना पुत्र कोहला
2. हडमाना पुत्र पेमा
3. शम्भूराम पुत्र पेमा
4. मोहनलाल पुत्र पेमा
5. नेनू बैवा पेमा
6. गोमा वल्द कोहला
7. हीरा वल्द कोहला
8. दीपा वल्द कोहला
9. श्रीमति लाच्छी बेवा नवला
10. पाचूदेवी पत्नि धर्माराम
11. इमरती बैवा पदमा जाति जाट निवासी दूदवा, तह0 पचपदरा, बाडमेर
12. राजस्थान सरकार जरियक तहसीलदार पचपदरा

दावा बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

उपस्थित :– लाधूराम चौधरी वादी वकील   दिनांक :– 29.1.2018

वादी के वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवंप्रतिवादीगण का सयुक्त खातेदारी खेत खसरा न0 321 रकबा 292 बीघा 08 विस्वा सरहद मौजा बोटाला पुरोहितान तहसील पचपदरा मे स्थित है जिसमें वादीगण सं. 1 का 15/731 वा हिस्सा अर्थात 6 बीघा एवं वादीगण सं. 2 का 15/731 वा हिस्सा अर्थात 6 बीघा भूमि है. एवं प्रतिवादी सं. 1 से 8 का 5/7 वां हिस्सा है। प्रतिवादी सं. 9 श्रीमति लाछी का 655/835 वां हिस्सा अर्थात 32 बीघा 2 विस्वा भूमि है, एवं प्रतिवादी स. 10 श्रीमति पाचूदेवी का 180/835 वां हिस्सा अर्थात 8 बीघा 18 विस्वा भूमि है,एवं स्वर्गीय पदमा का 52/517 वां हिस्सा अर्थात 29 बीघा 15 विस्वा भूमि है। स्वर्गीय पदमा की वारिस प्रतिवादी सं. 11 श्रीमति इमरती बैवा पदमा है, एवं स्वर्गीय पदमा द्वारा दिनांक 20.5.1995 को अपनी शेष भूमि 29 बीघा 15 विस्वा का बेचान वादी सं. 1 को कर दिया, जिससे स्व0 पदमा के हिस्से की भूमि पर वादी सं. 1 का दिनांक 20.5.1995 से आज तक कब्जा काश्त है। वादीगण एवं प्रतिवीदी सं. 1 से 10 का अपने अपने हिस्सेनुसार कब्जा काश्त है।

स्व0 पदमा का देहान्त आज से करीब 10 वर्ष पूर्व हो जाने के बाद प्रतिवादी संख्या 11 श्रीमति इमरती के नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद नहीं होने की वजह से स्व0 पदमा के हिस्से की भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमलबरामद नहीं हो सका है।

सहायक कलेक्टर, (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर, (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

स्व0 पदमा का हम वादीगण को बेचान करने के पश्चात शेष 52/517 का हिस्सा अर्थात 29 बीघा 15 हिस्सा भूमि है जिसका बैचान मौखित तौर से स्व0 पदमाराम द्वारा वादी भगाराम के पक्ष में 20,000 रूपये रोकड लेकर कर दिया एवं कब्जा वादी भगाराम को सुपर्द कर दिया मगर रजिस्ट्री बेचान नहीं होने के कारण राजस्व रेकर्ड मे वादी भगाराम के नाम अमल दरामद नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण वादीगण को बैदेखल नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण वादीगण को बेदखल करने पर उतारू है एवं दिनांक 25.6.2008 को मारपीट करने व वादीगण की झोपडी का तहस नहस कर दिया सामान उठाकर ले जाने पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

स्व0 पदमाराम से भूमि खरीदने से पूर्व सभी प्रतिवादीगण एवं स्व0 पदमाराम ने वर्ष 1990 में आपस मे बंटवाडा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गये एव आपस में बंटवाडा में स्व0 पदमाराम द्वारा परिशिष्ट 'अ' में वर्णित भूमि ए.बी.सी.डी को काश्त करता था उसको स्व0 पदमाराम ने वादी को बेचान कर वादीगण को कब्जा मौके पर करवाया दिनांक 25.6.2008 को सूड करने गये तो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 ने मना कर दिया तब वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 को मौके पर किय गये बंटवाडा के अनुसार राजस्व रेकार्ड में बंटवाडा कराने का कहा मगर उन्होने मना कर दिया एवं वादीगण के परिवार सदस्यों के साथ मारपीट की इन हालात में बंटवाडा का दावा प्रस्तुत करना अवाश्यक होने से प्रस्तुत किया। वादीगण की प्रार्थना है कि (1) वाद पत्र के पद संख्या में वर्णित भूमि खसरा न0 321 रकबा 292 बीघा 8 बिस्वा सरहद बोटाला पुरोहितान में स्थित है उसमे वादी भगाराम को स्व0 पदमाराम के 52/517 वे हिस्सा अर्थात 29 बीघा 15 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित कराने एव राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने का आदेश फरमावे

2. वाद पत्र के पद संख्या–1 में वर्णित खसरा न0 321 रकबा 292 बीघा 08 बिस्वा सरहद मौजा बोटाला पुरोहितनान मे परिशिष्ट 'अ' में वर्णित वादीगण के हिस्से की भूमि ए0बी0सी0डी0 का बंटवाडा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जाकर राजसव रेकर्ड में एवं नक्शा में तरमीम करने का आदेश फरमावें।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वाद पत्र मे पद संख्या 1 में भूमि स्थित है जिसमे वादीगण संख्या 1 व 2 का 12 बीघा एवं वादी संख्या 1 भगाराम का स्व0 पदमाराम की 29 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त है उसमे स्वय या प्रतिनिधी के द्वारा किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करे एवं न ही हस्तक्षेप करे अन्य किसी व्यक्ति के हक मे बैचान हस्तानान्तरण के जरिय राजस्व रेकर्ड में रदोबदल या अमल बरामद नहीं करें। वादी वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी एव 1 से 10 की तरफ से वकालतनामा श्री रामसिंह सोढा ने दिनांक 15.7.2008 को पेश किया व जबाब हेतु अवसर चाहा जो दिया गया प्रतिवादी संख्या 1 से 10 का जबाब पेश करने हेतु अवसर दिनांक 18.7.2008 से 7.7.2011 तक दिये गये जबाब पेश नहीं करने पर प्रतिवादीगण 1 से 10 ते जबाब दिनांक 7.7.2011 को बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 का सम्मन तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर दिनांक 1.7.2014 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। वादी की साक्ष्य में भागाराम पी0डब्लू0आई वादी स्वंय व गवाह चैनाराम पी.डब्लू–2 व गबाह रूपाराम पी.डब्लू–3 शपथ पत्र पेश किये व ब्यान करवाने गये। वादी की साक्ष्य दिनांक 20.10.2016 को बंद की गई व प्रतिवादी का साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया प्रतिवादीगण ने गवाह भंवराराम, लाच्छी का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो पार्ट 'डी' में रखे गये।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

दोनो पक्षों की बहस सुनी गई व वाद व वाद पत्र के संलग्न दस्तावेज ब्यानो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया वादी के वाद पत्र स्व0 पदमाराम द्वारा मौखिक बेचान को आधार मान कर वाद पत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा व बटवाडा का पेश किया गया। वाद मे समर्थन में वादी द्वारा उक्त मौखिक बैचान के सम्बन्ध में कोई किसी भी प्रकार का लिखित दस्तावेज पेश नहीं किया। साक्ष्य में वादी भामाराम के ब्यान कराये गये भगाराम ने वाद में तथ्यों का समर्थन किया व दावा के साथ नक्शा ई एक्स–1 जमाबंदी ई एक्स–2 व बेचान दस्तावेज रजिस्ट्री की छाया प्रति ई एक्स'– 3 ए पेश की है। व ब्यानो में 29 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्व0 पदमा राम की वारिश श्रीमति इमरती से खरीदना बताया ग्वाह चैनाराम व रूपाराम ने भी 29 बीघा 15 बिस्वा भूमि इमरती से खरीद करना बताया जबकि वाद के पद सख्या 2 में स्व0 पदमाराम द्वारा वादी भगाराम के पक्ष में बैचान मौखिक तौर पर करना बताया। इस प्रकार वाद पत्र के पद संख्या 1 व वादी भगाराम व गवाह चैनाराम, रूपाराम के बयानो में विरोधाभाष है। तथा प्रस्तुत दस्ताजे से स्व0 पदमाराम व वारिश श्रीमति इमरती द्वारा बैचान करना नहीं पाया जाता है। वादी भामाराम द्वारा वाद पत्र के संलग्न बैचान दस्तावेज इ.एक्स.–3 ए का अमलदरामद राजस्व रकडे में पूर्व से ही हो चुका है। जिससे वादीगण प्रस्तुत जमाबदी इ.एक्स–2 म 15/731 व 15/731 हिस्से के खातेदार दर्ज है। वादी भगाराम वाद पत्र में मौखिक बेचान बता कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है। वादी मौखिक बेचान रकबा 29 बीघा 15 बिस्वा का खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने मे असफल रहा वादी वाद पत्र आधारहीन होने से स्वीकार करने योग्य नहीं है। उक्त वाद पत्र मात्र मौखिक बैचान के आधार पर खातेदारी अधिकार देना इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे है। वादीगण अधिकारों की घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा जैसी रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिकारों की घोषणा, बंटवाडा परिशिष्ट 'अ' ए.बी.सी.डी अनुसार करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा जैसी रिलिफ पाने का अधिकारी नहीं होने से वादी वाद अस्वीकार किया जाता है। डिक्री पर्ची जारी हो।

(भगीरथराम)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner